कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

क्रमांकः स्था/चिकि/कोविड-19/2021-3593 दिनांकः 20.5.2021

विज्ञप्ति

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांकः- प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 दिनांक 18.05.2021 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर के आदेश क्रमांकः- कोरोना वार रूम/2020-21/2769 दिनांक 19.05.2021 की पालना में जिले में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने में मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने हेतु जिले में कॉविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन/नियोजन किया जाना है। उक्त चयन/नियोजन पूर्णतया अस्थाई रूप से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग की भांति किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	कोविड स्वास्थ्य सहायक (राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत जीएनएम/बीएससी डिग्री/डिप्लोमा)	1691

उपरोक्तानुसार वर्णित पद की योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन (Google Forms) के माध्यम से नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से https://Forms.gle/uiso3SRnJ7x5HUu4A ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25.05.2021 को शाम 6:00 बजे तक कर सकते हैं। निर्धारित समय/अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट :- यह लिंक ईमेल आईडी cmho240844dr@gmail.com पर मेल करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

1. कॉविड स्वास्थ्य सहायक की योग्यता सीनियर सैकण्डरी + जीएनएम/बीएससी नर्सिंग एवं आरएनसी से पंजीकृत की अनिवार्यता तथा नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम योग्यता का प्रतिशत एवं तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा।
2. कोविड स्वास्थ्य सहायक से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक ही कार्य लिया जावेगा।
3. यदि स्थानीय आशार्थियों की संख्या जिले हेतु आवंटित कोविड स्वास्थ्य सहायक की संख्या से कम होने पर अन्य जिलों के आशार्थियों का मेरिट के अनुसार नियोजन किया जावेगा।
4. कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7900/- रूपये प्रतिमाह देय होगा।
5. कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा District Hospital, Covid Care Center, Oxygen Menitor & Contract Tracing Drive/CHC/PHC/ग्राम पंचायतों में कोविड-19 के बारे में गांव की जनता/शहरी क्षेत्र को संक्रमण के बारे में घर-घर सर्वे कर आमजन को जागरूक करने एवं चिन्हित मरीजों को दवा वितरण तथा संक्रमण की रोकथाम हेतु दिये गये उत्तरदायित्वों का तथा समय- समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
नागौर